



कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी),
पंजाब एवं यू.टी., सैक्टर 17-ई, चंडीगढ़ - 160017.
Office of The Accountant General (A&E),
Punjab & U.T., Sector-17 E,
Chandigarh – 160017.

Phone: 0172-2702906, 2703117, 2709576
Fax – 0172-2702286
Mail: agaepunjab@cag.gov.in



O/o No.: W.Admn./MACPS/26-27/23

कार्यालय आदेश

OFFICE ORDER

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन (OM) संख्या 35034/3/2015-Estt.(D) दिनांकित 22.10.2019, एवं कार्यालय ज्ञापन (OM) संख्या 35034/3/2008-Estt.(D) दिनांकित के समेकित दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना (MACPS) के अंतर्गत निम्नलिखित ग्रुप "B" नॉन-गजेटेड कर्मचारी को उसके नाम के समक्ष अंकित तिथि एवं वेतनमान में वित्तीय उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है:

The competent authority is pleased to grant approval for financial upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) to the following Group 'B' Non-Gazetted employee in accordance with the consolidated guidelines contained in the Government of India's Office Memoranda (OM) No. 35034/3/2015-Estt.(D) dated 22.10.2019 and No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.05.2009, effective from the date and in the pay scale indicated against their name::

क्रमांक Sr. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति तिथि Date of Joining	MACP की संख्या When Due	देय तिथि When Due
1.	श्री नितिन चौधरी Shri Nitin Chaudhary	मंडलीय लेखाकार Divisional Accountant	13.06.2016	1st	13.06.2026

सम्बंधित कर्मचारी को उक्त लाभ व्यक्तिगत आधार पर प्रदान किया गया है तथा इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं है। पदनाम, वर्गीकरण अथवा उच्चतर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

The upgradation is personal to the official and has no relevance to his/her seniority position vis-à-vis other officials in the cadre. There shall be no change in the designation, classification or higher status.

अगले वेतन वृद्धि का निर्धारण नियमानुसार FR 22(1)(a)(1) के प्रावधानों के तहत तय किया जाएगा तथा कर्मचारी आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर अपना विकल्प दे सकता/सकती है। अगर रेगुलर प्रमोशन उसी पे-लेवल में होता है जो MACPS के तहत मिला था, तो उस समय वेतन दोबारा तय नहीं किया जाएगा।

The pay in the level admissible will be fixed under the provision of FR 22(1)(a)(1). The official may exercise his/her option within one month from the date of issue of this order. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same pay level as granted under MACPS.

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (निर्माण प्रशासन)
Sr. Accounts Officer (Works Admin)

संख्या: W.Admn./MACPS/26-27/271-274

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को प्रतिलिपि अग्रेषित करें:

Copy to the following for information & necessary action:

1. संबंधित कर्मचारी। / Concerned Official(s).
2. संबंधित कार्यकारी अभियंता। / Concerned Executive Engineer.
3. उप महालेखाकार (प्रशासन) के गोपनीय सहायक। / CA to the DAG (Admin).
4. आई.टी.एस.सी. अनुभाग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। / ITSC for uploading to the official website.
5. पदक्रम सूची फ़ाइल। / Gradation List File.
6. कार्यालय आदेश फ़ाइल। / Office Order File.

ह/-

Sd/-

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (निर्माण प्रशासन)
Sr. Accounts Officer (Works Admin)